# बुज़ुर्गों के लयि बुनयिादी अधकिारों की कमी

## संदर्भ

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वरिष्ठ नागरकिों और बुज़ुर्गों को प्रदान कयि गए अपर्याप्त कल्याणकारी अधकिारों की जवाबदेही में सरकार 'आर्थिक बजट' का बहाना नहीं बना सकती है। देश में बुज़ुर्गों की बढ़ती आबादी को देखते हुए भी उनके अधकिारों को संवधिान में नई परस्थितियों के अनुरूप परभाषति नहीं कयि गया है।

## मौजूदा अधकिार

- **माता-पिता और वरिष्ठ नागरकिों का भरण-पोषण तथा कल्याण अधनियिम, 2007** के तहत गरमिा, स्वास्थ्य और आश्रय हर वरिष्ठ नागरकि का वैधानकि अधकिार है।
- गरमिा, स्वास्थ्य और आश्रय तीन ऐसे महत्त्वपूर्ण घटक हैं जो अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के मौलकि अधकिार को भी संदर्भति करते हैं।
- गौरतलब है कि 2007 के अधनियिम के अनुसार प्रत्येक ज़िले में एक ऐसे वृद्धाश्रम की स्थापना की जाएगी, जसिमें कम-से-कम 150 ऐसे वरिष्ठ नागरकिों को आवास की सुवधिा दी जा सकेगी, जो गरीब हैं।

## महत्त्वपूर्ण बदुि

- जस्टसि मदन बी. लोकुर की खंडपीठ ने सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासति प्रदेशों के प्रत्येक ज़िले में वृद्धाश्रमों की संख्या के बारे में 'आवश्यक जानकारी' प्राप्त करने हेतु केंद्र सरकार को आदेश दयिा है तथा 31 जनवरी तक रपिोर्ट सौंपने को कहा है।
- सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र को प्रत्येक ज़िले के वरिष्ठ नागरकिों हेतु उपलब्ध चकित्सिा और देखभाल सुवधिाओं के बारे में राज्यों से वविरण प्राप्त करने का भी आदेश दयिा है।
- वृद्धाश्रम और आवास की अनुपस्थतिमिें बुज़ुर्गों दुर्घटनाओं और अन्य अप्रत्याशति घटनाओं हेतु सुभेद्य हो जाते हैं।

## पेंशन

- अदालत ने नर्दिेश दयिा कि किम-से-कम केंद्र को कम-से-कम 2007 के अधनियिम के प्रावधानों को लागू करे और यह सुनश्चिति करे कि राज्य सरकारें भी कानून के प्रावधानों को लागू करें।
- पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री अश्वनिी कुमार द्वारा दायर याचकिा के आधार पर अदालत के फैसले में वरिष्ठ नागरकिों और बुज़ुर्गों को पेंशन के रूप में भुगतान कयि जाने वाले मामूली भत्ते पर आश्चर्य जताया गया है।
- बुज़ुर्गों की आबादी 1951 में 1.98 करोड़ थी जो 2001 में बढ़कर 7.6 करोड़ तथा 2011 में 10.38 करोड़ हो गई। यह अनुमान लगाया गया है कि भारत में 60 वर्ष से ज़्यादा की उम्र वाले लोगों की आबादी 2021 में 14.3 करोड़ और 2026 में 17.3 करोड़ हो जाएगी।
- ऐसे में यह आवश्यक हो जाता है कि माता-पिता और वरिष्ठ नागरकिों के भरणपोषण तथा कल्याण के लयि संवधिान के अधीन गारंटीकृत और मान्यताप्राप्त उपबंधों का और उनसे संबंधति या उनके आनुषंगकि वषियों का उपबंध करने के लयि पूर्व के अधनियिमों में नर्दिष्ट प्रावधानों को लागू कयि जाए तथा आवश्यकतानुसार संशोधन के द्वारा उक्त उपबंधों को सुदृढ़ करते हुए वरिष्ठ नागरकिों को सशक्त बनाया जाए।

**स्रोत- द हदिू**

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/lack-of-basic-right-for-aged